

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण:-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी
तह. देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. ग्राम पंचायत कोटडी तह. देसूरी
जिला पाली जरिये ग्राम विकास
अधिकारी प्रा.प. कोटडी प.स.देसूरी
2. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति
सीरवी निवासी कोटडी तह. देसूरी

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 232/2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024/261)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

संख्या तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुय

19.03.2024

पत्रावली पेश हुई।

राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।

क्र. 568

दि. 19/03/24
को नोटिस
जारी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली

22/5/24

पत्रावली पेश हुई। जर्नी मय अधिकारी
(उपस्थित) धारणा पत्रावली के फिलेरन
दिखा दि एत निगरानी के आगे नही
बलगत आये अतः खरीज क्रिया लगे।
उक्त निगरानी जरिह विडो खरीज की
जाती है। पत्रावली के फल सुमार होकर नम्बर
के क्रम हो। निर्णय सुनाया गया।

Mun
22/5/24
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

मदनसिंह
दु
[Signature]